

आर.सी.टी. नं.: 44 / 2026
शासन वि. शक्कुबाई उर्फ चक्कुबाई

न्यायालय :- नताशा शेख पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धार
जिला धार (म.प्र.)

Registration No	44/2026
Filing No	304/2026
C.N.R. No	MP1101-000464-2026



मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
थाना प्रभारी, पुलिस थाना धार
जिला-धार (म.प्र.)

.....अभियोजन

विरुद्ध

- 1- शक्कुबाई उर्फ चक्कुबाई पति बाबुलाल
निवासी- डिस्लरी चौराहा, धार म.प्र.

.....अभियुक्त

आरक्षी केन्द्र धार के अपराध क्रमांक 521/2025 अंतर्गत धारा 103(1), 191(2), 191(3), 331(5), 324(2) एवं 3(5) बी.एन.एस.एस. से उद्भूत प्रकरण।

--: उपार्पण आदेश :-

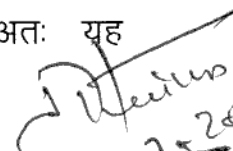
--: आज दिनांक 17.06.2026 को पारित :-

- अभियुक्त के विरुद्ध धार के अपराध क्रमांक 521/2025 अंतर्गत धारा 103(1), 191(2), 191(3), 331(5), 324(2) एवं 3(5) बी.एन.एस.एस. में पूरक अभियोग पत्र दिनांक 08.07.2026 पेश किया गया है।
- अभियोजन कहानी संक्षेप में यह है, कि फरियादी सरदार पिता शेरसिंह भाबर, निवासी सिल्वर हिल कालोनी नौगांव ने थाना कोतवाली में इस आशय की रिपोर्ट की कि दिनांक 30.10.2025 के 02:00 बजे वह ड्रायवरी के काम से सांभर भिडौदा के बीच में था, तभी उसे

(नताशा शेख पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धार जिला धार (म.प्र.)
7-2026

बिलामसिंह पिता भंगु भावर ने फोन लगाकर बताया की उसके/सरदार के पिता शेरसिंह का खेत में झगड़ा हो गया है और शेरसिंह को चोटे लगी होने से अस्पताल में भर्ती किया है, फिर वह/सरदार भोज अस्पताल धार आया और देखा उसके/सरदार के पिताजी को सिर, हाथ पैरों में चोट लगी थी, फिर उसने/सरदार ने खेत पड़ोसी गोबीबाई पति नन्दु भील निवासी भुतिया से पुछा तो उन्होंने बताया की दिन करीबन 02:00 बजे शेरसिंह पिता झेतु भावर और बाबुलाल पिता थावर भील निवासी गंजीखाना के बीच खेत की मेढ़ के रास्ते का विवाद हो गया और इसी बात पर से आपस में लड़ाई-झगड़ा हो गया, तो बाबुलाल व उसकी की पत्नी आरोपी शक्कुबाई उर्फ चक्कुबाई, पुत्र छोटु व मुकेश एवं अन्य लोग हाथ में लट्ट, फालिया लेकर आये और शेरसिंह को जान से मारने की नियत से मारपीट की, जिससे शेरसिंह को सिर में हाथ पैर व शरीर में जगह जगह चोटे लगी। इसके बाद शेरसिंह को ईलाज के लिये भोज अस्पताल धार लेकर आये थे, जहाँ पर शेरसिंह की ईलाज के दौरान मौत हो गयी है। उक्त रिपोर्ट पर से कोतवाली धार के अपराध क्र. 521/2025 धारा 103 (1), 3 (5) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। तत्पश्चात् आवश्यक विवेचना के उपरांत मूल अभियोग पत्र इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जो वर्तमान में माननीय सत्र न्यायाधीश, महोदय धार को उपार्पित होकर वर्तमान में माननीय श्री सी.एस. शैयाम, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय धार के यहाँ (सी.आई.एस. अनुसार) विचाराधीन है।

3- आरोपी शक्कुबाई उर्फ चक्कुबाई पति बाबुलाल के विरुद्ध प्रथमदृष्टया धारा धारा 103(1), 191(2), 191(3), 331(5), 324(2) एवं 3(5) बी.एन.एस.एस. का अपराध प्रकट होता है, जिसके विचारण की अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय धार को है। अतः यह


(श्रीशैल शैल पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धार जिला धार (म.प्र.)

प्रकरण/पूरक अभियोग पत्र, मूल प्रकरण का विचारण कर रहे माननीय श्री सी.एस. शैयाम, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, धार की ओर उपापित किया जा रहा है।

4- अभियुक्त न्यायिक निरोध में है, उनका कमिटल वारण्ट बनाया जाकर आगामी नियत दिनांक 30/07/2026 को माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया।

5- धारा-207 द.प्र.सं. का पालन किया जाकर अभियोग पत्र की नकल अभियुक्त अधिवक्ता को प्रदान की जा चुकी हैं।

6- प्रकरण को माननीय श्री शैयामसिंह चौधर, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, धार की ओर उपापित किये जाने की सूचना लोक अभियोजक को दी गई।

7- प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल के संबंध में थाना प्रभारी एवं मालखाना नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि आगामी तिथि को माननीय न्यायालय में मुद्देमाल पेश करे।

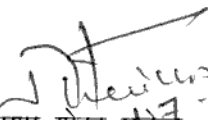
8- धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाणपत्र बनाया जाकर संलग्न किया जाये।

9- प्रकरण मय केस डायरी के माननीय सत्र न्यायालय, धार की ओर उपापित किया जावे।

स्थान : धार

दिनांक : 17.06.2026

07


नलाशा शेख पटेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धार जिला धार (म.प्र.)



